न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास – मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

रसद मामला संख्या–69 / 2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये रामावतार पूनिया, प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, नागौर		अयूब खां पुत्र खाजू खां निवासी कुचेरा जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री रामावतार पूनिया
2. श्री भागीरथ चौधरी अधिवक्ता, अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय **दिनांक** –10.04.2023

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में सीज सुदा 18 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री भागीरथ चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया।

1. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि दिनांक 17.12.22 को अजयपाल नायब तहसीलदार मुण्डवा मय पुलिस जाब्ता, विक्रमसिंह हैण्ड कान्स्टेबल एवं राजूराम कान्स्टेबल द्वारा घरेलू गैस की व्यवसायिक दुरूपयोग की रोकथाम बाबत अयुब खां पुत्र खांजू खां निवासी कुचेरा के गैराज पर आकस्मिक जांच की गई। वक्त जांच मौके पर अयुब खां पुत्र खाजू खां निवासी कुचेरा उपस्थित मिला। मौके पर अयूब खां ने बताया कि वह गैराज में गाडियों में गैस भरने का काम करता है। मौके पर गैराज में 18 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये। अयुब खां से घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण एवं दुरूपयोग से संबंधित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछताछ करने पर इनके पास गैस के भण्डारण से संबंधित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नहीं होना स्वीकार किया। मौके पर उपस्थित अयुब खां द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर मकान में भण्डारित घरेलू गैस सिलेण्डर के 18 सिलेण्डर मय गैस को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया।

1(1)–वक्त जांच अवैध रूप से घरेलू रसोई गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक दुरूपयोग पाया गया जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	नाम गैस कम्पनी	एस.आर. नं.	सिलेण्डर का कुल वजन
1	इण्डेन गैस	103849	
2	इण्डेन गैस	601647	
3	इण्डेन गैस .	024446	
4	इण्डेन गैस	381515	
5	इण्डेन गैस	390613	
6	इण्डेन गैस	566061	
7	इण्डेन गैस	518525	
8	इण्डेन गैस	848176	
9	इण्डेन गैस	983145	
10	इण्डेन गैस	537548	
11	इण्डेन गैस	552152	
12	इण्डेन गैस	156863	
13	इण्डेन गैस	948679	
14	इण्डेन गैस	318364	
15	इण्डेन गैस	516413	
16	इण्डेन गैस	265416	
17	इण्डेन गैस	686956	
18	इण्डेन गैस	087482	

अपर कलक्टर, नागौर

उपरोक्त 18 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स कुचेरा गैस सर्विस, कुचेरा के प्रतिनिधि श्यामसुन्दर वैष्णव की सुपुर्दगी में दिये गये है। इस प्रकार अयुब खां का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर,– 2000 के क्लॉज 3 (C), 7(1)(a)(b)(C) एवं एलपीजी आदेश 2001 का आदेश 2001 का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से मौके पर उपर्युक्तानुसार 18 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए में समपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी के बच्चे की शादी थी, उक्त 18 गैस सिलेण्डर मय गैस को बच्चे की शादी में उपयोग में लेने थे। रिश्तेदारों के वैध सिलेण्डर थे, हमारे खिलाफ कोई शिकायत नहीं हुई।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। दिनांक 17.12.22 को अजयपाल नायब तहसीलदार मुण्डवा मय पुलिस जाब्ता, विक्रमसिंह हैण्ड कान्स्टेबल एवं राजूराम कान्स्टेबल द्वारा मौके पर पहुंचकर आकस्मिक जांच की। मौका निरीक्षण करने पर 18 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस पाये गये। मौके पर अप्रार्थी अयूब खां पुत्र खाजू खां निवासी कुचेरा जिला नागौर से पूछताछ करने पर उसके पास गैस भण्डारण से संबंधित किसी प्रकार के कोई वैध दस्तावेज नहीं पाये गये। जिससे अप्रार्थी का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर,– 2000 के क्लॉज 3 (C), 7(1)(a)(b)(C) एवं एलपीजी आदेश 2001 का आदेश 2001 का स्पष्ट उल्लघंन हैं उल्लंघन है जो दण्डनीय अपराध है।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्त सुदा पैरा संख्या 1(1) में वर्णित 18 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत् समपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है। उक्त 18 गैस सिलेण्डर मय गैस का नियमानुसार कीमतन निस्तारण करने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है। उक्तानुसार कीमतन निस्तारण से प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती हैं। उक्त प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

5. निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया),
अपर जिला कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर